उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-31+110/2011-12

रामजी कुँवर बनाम् सुधीर पाण्डे

सुधीर पाण्डे बनाम् राजेश पाण्डे एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकलन किया।

वर्तमान अपील वाद आर0एम0ए0 नं0–31/11–12 रामजी कुँवर, पे0–स्व0 सीताराम कुँवर, सा0–गुदिया, अंचल–महागामा, जिला–गोड्डा एवं आर0एम0ए0 नं0–110/11–12 सुधीर पाण्डे, पे0–स्व0 प्रसन्न पाण्डे, सा0– गुदिया, अंचल–महागामा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है और चूँकि दोनों अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–01/10–11 में दिनांक–09.07.2011 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। इसलिए दोनों अपील वाद को एक साथ सम्बद्ध कर सुनवाई की गयी।

अपीलकर्त्ता रामजी कुँवर के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी सुधीर पाण्डे ने मौजा–गुदिया जमाबंदी सं0–31 दाग नं0–47 रकवा 00–02–00 धुर जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत आवेदन दाखिल किया था। अपीलकर्त्ता ने न्यायालय में उपस्थित होकर कारण–पृच्छा दाखिल किया कि अपीलकर्त्ता का दावा जमाबंदी सं0–31 की जमीन पर नहीं है। उनका दावा मौजा–गुदिया के जमाबंदी सं0–37 के दाग नं0–47 रकवा 00–02–00 धुर जमीन पर है और उक्त जमीन जमाबंदी रैयत सुगरीव पाण्डे, फतींगा पाण्डे, रीतलाल पाण्डे एवं लघन पाण्डे के द्वारा वर्ष 1936 ई0 में सीताराम कुँवर को कुर्फा के माध्यम से दिया गया था। कुर्फा से बंदोवस्त मिलने के बाद सीताराम कुँवर उसपर दखलकार हुए एवं उसपर मिट्टी का कच्चा मकान बनाकर सपरिवार निवास करने लगे और वे अपने मृत्यु 1986 ई0 तक उस पर रहते आये। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र अपीलकर्त्ता उसपर निवास कर रहें हैं। अपीलकर्त्ता ने उसपर बने पुराने कच्चे मकान को तोड़कर

नया मकान बनाया एवं उसपर सपरिवार रह रहें हैं। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता का दखल 1949 के पूर्व 12 वर्ष पूर्व से होने के कारण उनका हक उस जमीन पर कायम हो गया है। दिनांक–19.06.2006 को जमाबंदी रैयत सुग्रीव पाण्डे के पुत्र परमानंद पाण्डे के द्वारा शपथ पत्र भी दिया गया है, जिसमें स्वीकार किया गया है कि अपीलकर्त्ता का दखल उस जमीन पर वर्ष 1936 ई0 से लगातार चला आ रहा है। उस सारी तथ्यों को अपीलकर्त्ता के द्वारा निम्न न्यायालय में दाखिल किया गया था, लेकिन निम्न न्यायालय के द्वारा दाखिल तथ्यों पर विचार किये बिना ही आदेश पारित किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियमानुकूल नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता सुधीर पाण्डे के विद्वान का कथन है कि मौजा–गुदिया जमाबंदी सं0–37 दाग नं0–47 रकवा 01–05–00 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में सुग्रीव पाण्डे के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत सुग्रीव पाण्डे अपने पीछे एक पुत्र प्रसन्न पाण्डे को छोड़कर फौत कर गये। प्रसन्न पाण्डे को चार पुत्र क्रमशः परमानंद पाण्डे, वासुदेव पाण्डे, सुधीर पाण्डे एवं धनेश्वर पाण्डे हुए। उनका आगे कथन है कि न तो उत्तरवादी देवनारायण पाण्डे का और न ही उनकी पत्नि का अपील वाद के जमाबंदी रैयत से कोई संबंध है। इसलिए उत्तरवादी देवनारायण पाण्डे का अपील वाद जमीन में हक होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उत्तरवादी देवनारायण पाण्डे ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 का उल्लंघन कर अपीलकर्त्ता के जमीन को कब्जा किया है। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने उत्तरवादी को अपील वाद जमीन से उच्छेद नहीं किया है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए उत्तरवादी देवनारायण पाण्डे को उच्छेद करने के लिए अनुरोध किया है।

प्रक्रिया चलने के दौरान उत्तरवादी देवनारायण पाण्डे की मृत्यु हो गयी। उनके स्थान पर उनके पुत्र राजेश पाण्डे को प्रतिस्थापनी पक्षकार बनाया गया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–गुदिया जमाबंदी सं0–37 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में सुग्रीव पाण्डे, फतिंगा पाण्डे,

रीतलाल पाण्डे एवं लघन पाण्डे के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत फतिंगा पाण्डे को चार पुत्र भुजंगी पाण्डे, केदार पाण्डे, गणेश पाण्डे एवं विश्वनाथ पाण्डे हुए। भुजंगी पाण्डे का पुत्री मीना देवी है। भुजंगी पाण्डे को एक मात्र पुत्री मीना देवी है। मीना देवी अपने पति देवनारायण पाण्डे के साथ नैयहर में रहती है। उसे मकान की कमी के कारण धनेश्वर पाण्डे ने अपने हिस्से में से दो कट्ठा उन्नीस धुर जमीन मीना देवी, पति देवनारायण पाण्डे तथा उसी जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–47 में रकवा 00–02–00 धुर जमीन परमानंद पाण्डे ने रामजी कुँवर को दिया। जिसकी पुष्टि शपथ पत्र के द्वारा किया गया है। उनका आगे कथन है कि पारिवारिक समझोता पत्र डीड सं0–2589 दिनांक–11.07.2007 के अनुसार सभी भाईयों के बीच आपसी बँटवारा हो चुका है। बँटवारा के बाद धनेश्वर पाण्डे ने मीना देवी को एवं परमानंद पाण्डे ने रामजी कुँवर को जमीन दिया है। अपीलकर्त्ता सुधीर पाण्डे की हिस्से की जमीन से उन्हें कोई सरोवार है। अपीलकर्त्ता सुधीर पाण्डे ने निम्न न्यायालय में जमाबंदी सं0–31 की जमीन पर से उच्छेद के लिए वाद दायर किया था, जबकि विपक्षियों का दखल जमाबंदी सं0–37 की जमीन पर है। अपीलकर्त्ता सुधीर पाण्डे ने निम्न न्यायालय में देवनारायण पाण्डे का नाम गलत दर्शाया है। क्योंकि कागजात मीना देवी के नाम से है एवं मीना देवी भुजंगी पाण्डे की पुत्री है। उत्तरवादी के द्वारा किसी भी तहर से अतिक्रमण नहीं किया गया है। क्योंकि उत्तरवादी देवनारायण पाण्डे भुजंगी पाण्डे के दामाद है। उनका आगे कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने उक्त जमीन पर उत्तरवादी का स्वत्व निहित होने के कारण उत्तरवादी को उस जमीन से उच्छेद नहीं किया है। उन्होंने अपीलकर्त्ता सुधीर पाण्डे के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, महागामा से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–गुदिया नं0–689 जमाबंदी नं0–37 दाग नं0–47 रकवा 01–05–06 धुर जमीन खतियान में सुग्रीव पाण्डे वल्द उमराव पाण्डे, फतिंगा पाण्डे वल्द चंपा पाण्डे वो अंतलाल पाण्डे वो लघन पाण्डे, पे0–मोहर पाण्डे कौम ब्राहम्ण सा0 देह अंकित है। सुग्रीव पाण्डे अपने एक मात्र पुत्र परसन पाण्डे को छोड़कर फौत कर गये। परसन पाण्डे अपने चार पुत्र परमानंद पाण्डे वो वासुदेव पाण्डे वो सुदेशर पाण्डे एवं

धनेश्वर पाण्डे को छोड़कर फौत कर गये। फतिंगा पाण्डे अपने चार पुत्र भुजंगी पाण्डे वो केदार पाण्डे वो गणेश पाण्डे एवं विश्वनाथ पाण्डे को छोड़कर फौत कर गये। दोनों आपस में फरीकदार हैं और मौजा–गुदिया के जमाबंदी नं0–37 के अन्तर्गत दाग नं0–47 में आधी–आधी भूमि के हकदार है। वादगत भूमि मौजा–गुदिया जमाबंदी नं0–37 दाग नं0–47 के अन्दर 02 कट्ठा जमीन रामजी कुँवर, पे0–सीताराम कुँवर को ग्रामीणों की उपस्थिति में अपने हिस्से की भूमि के अन्दर परमानंद पाण्डे के द्वारा दिया गया है। परमानंद पाण्डे वो वासुदेव पाण्डे वो सुधीर पाण्डे एवं धनेशर पाण्डे पे0–परसन पाण्डे के बीच भी आपस में बटवारा किया गया है। वर्तमान में उक्त भूमि पर रामजी कुँवर का पुराना कच्चा एवं पक्का मकान बना हुआ है, जिसमें रामजी कुँवर सपरिवार करीब 20–25 वर्षों से निवास कर रहें हैं। भुजंगी पाण्डे अपनी एक मात्र पुत्री मीना देवी को छोड़कर फौत कर गये। मीना देवी की शादी देवनारायण पाण्डे के साथ हुई है। विपक्षी अपने पत्नि मीना देवी के साथ पूर्वज से प्राप्त भूमि पर कच्चा एवं पक्का मकान बना कर वास कर रहें हैं।

विद्वान सरकारी वकील का मंतव्य है कि दोनों आपस में फरिकदार हैं और मौजा–गुदिया जमाबंदी नं0–37 दाग नं0–47 में पारिवारिक बँटवारे के आधार पर आधा–आधा भूमि के हकदार है। वादगत भूमि मौजा–गुदिया जमाबंदी नं0–37 दाग नं0–47 के अंदर 02 कट्ठा जमीन रामजी कुँवर, पे0–सीताराम कुँवर को ग्रामीणों की उपस्थिति में अपने हिस्से की भूमि के अंदर परमानंद पाण्डे के द्वारा दिया गया है। परमानंद पाण्डे वो वासुदेव पाण्डे वो सुधीर पाण्डे एवं धनेशर पाण्डे, पे0–परसन पाण्डे के बीच भी आपस में जमीन का बँटवारा किया गया है। अंचलाधिकारी, महागामा द्वारा उक्त भूमि के जाँच के क्रम में पाया गया कि रामजी कुँवर का कच्चा एवं पक्का मकान बना हुआ है, जिसमें रामजी कुँवर सपरिवार करीब 20–25 वर्षों से निवास कर रहें हैं। भुजंगी पाण्डे अपनी एक मात्र पुत्री मीना देवी को छोड़कर फौत कर गये हैं। मीना देवी की शादी देवनारायण पाण्डे के साथ हुई है। देवनारायण पाण्डे अपनी पत्नि मीना देवी की पूर्वज से प्राप्त भूमि पर कच्चा एवं पक्का मकान बनाकर वासोवास कर रहें हैं। उनका आगे मंतव्य है

कि जमाबंदी रैयत के वारिशानों के बीच मामला स्वत्व से संबंधित है जिसका निर्णय समक्ष न्यायालय में जाकर किया जा सकता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, जाँच प्रतिवेदन, विज्ञ सरकारी वकील के मंतव्य एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–गुदिया जमाबंदी सं0–37 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में सुग्रीव पाण्डे वल्द उमराव पाण्डे वो फतींगा पाण्डे वल्द चंपा पाण्डे वो रीतलाल पाण्डे वो लघन पाण्डे पेसरान मोहन पाण्डे के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी सं0–37 के अन्तर्गत दाग नं0–47 रकवा 00–02–00 धुर जमीन से संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 का उल्लंघन मानते हुए अपीलकर्त्ता रामजी कुँवर को उच्छेद किया गया है। वर्तमान अपील में भी अपीलकर्त्ता रामजी कुँवर के द्वारा 1936 ई0 के कुर्फा के आधार पर दावा किया गया है, लेकिन अपीलकर्त्ता ने अपने दावा के समर्थन में 1949 के पूर्व का कोई भी साक्ष्य जनित कागजात दाखिल नहीं किया है। इससे अपीलकर्त्ता का दखल अवैध प्रतीत होता है। निम्न न्यायालय के द्वारा उत्तरवादी देवनारायण पाण्डे को मौजा–गुदिया के जमाबंदी सं0–37 के दाग नं0–47 रकवा 00–02–00 धुर जमीन से उच्छेद नहीं किया है। क्योंकि उत्तरवादी देवनारायण पाण्डे की पत्नि मीना देवी उक्त जमाबंदी के जमाबंदी रैयत के वंश के अन्तर्गत आते हैं। वर्तमान अपील वाद में अंचल अधिकारी, महागामा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से भी स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी देवनारायण पाण्डे की पत्नि मीना देवी अपने पूर्वज से प्राप्त जमीन पर मकान बनाकर वास कर रही है। अपीलकर्त्ता सुधीर पाण्डे के द्वारा निम्न न्यायालय से भिन्न कोई भी कागजात वर्तमान अपील वाद में दाखिल नहीं किया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियमानुकूल प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–01/10–11 में दिनांक–09.07.2011 के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता रामजी कुँवर एवं सुधीर पाण्डे के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 17:48:46 +05:30
Location: 192.168.29.8